शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय,रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई–मेल - registrarsnpv@gmail.com , वेबसाईट - https://snpv.ac.in

क्रमाँक. 764 /अका./पात्रता/2021 रायगढ़, दिनाँक 28.08.2021

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
शहीद नंकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

विषयः–विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश के संबंध में छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत सत्र 2021–22 के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिशा निर्देश।

––00––

विषयांतर्गत, निम्नानुसार दिशा निर्देशों का पालन कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:–

1. **ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है:–**

अ. स्नातक स्तर के लिए:–

I. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर एवं मान्य बोर्ड, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. के अंतर्गत संचालित विद्यालयों से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को तथा राष्ट्रीय मुक्त परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्कता नही है।

II. काउंसिल ऑफ बोर्ड स्कूल एजूकेशन इन इंडिया की सूची में सम्मिलित बोर्ड से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।

III. छ.ग. राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालयों से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर में एकीकृत पाठ्यक्रम होने के कारण अधूरा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को भी पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।

ब. स्नातकोत्तर स्तर के लिए:–

I. छ.ग. राज्य स्थित राजकीय विश्वविद्यालय (यथा:– पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर, अटल बिहारी वाजपेयी वि.वि. बिलासपुर, संत गाहिरा गुरू वि.वि. अंबिकापुर, हेमचंद यादव वि.वि. दुर्ग, बस्तर वि.वि. जगदलपुर आदि) स्वशासी महाविद्यालयों एवं छ.ग. राज्य के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय से स्नातक की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।

2. **ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है:–**

अ. **स्नातकोत्तर स्तर के लिए:–**

I. छ.ग. राज्य के बाहर के ऐसे विश्वविद्यालय जो **यू.जी.सी. एवं ए.आई.यू.** से मान्यता प्राप्त हों, से स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

3. पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया

I. विश्वविद्यालय पात्रता कंडिका क्रमांक 01 के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की आवश्यकता नही है। ऐसे अभ्यर्थियों को महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कराकर प्रवेश देवें। अभ्यर्थियों को अनावश्यक विश्वविद्यालय न भेजें।

II. पत्रता प्रमाण पत्र आवेदन फार्म ऑनलाईन उपलब्ध होने के कारण पात्रता आवेदन फार्म भरकर समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात् महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी से अग्रेषित कराकर ही विश्वविद्यालय पात्रता प्रकोष्ठ में निर्धारित पात्रता शुल्क के साथ जमा तिथि से न्यूनतम 07. दिवस पश्चात् एवं अधिकतम 15 दिवस के भीतर पात्रता प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा।

III. अभ्यार्थियों को स्वयं आकर आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। बिना प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी के अग्रेषण पात्रता आवेदन स्वीकार्य नही किया जावेगा। प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी पात्रता आवेदन अग्रेषण पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि महाविद्यालय में सीट रिक्त है एवं **आवेदनमय दस्तावेज पूर्ण है। अपूर्ण आवेदन स्वीकार्य नही होंगें।**

IV. पात्रता के लिए आवेदन कर रहें आवेदकों का निर्धारित प्रपत्र के साथ पूर्व में उत्तीर्ण किये गये पाठ्यक्रम के समस्त वर्षो/सेमेस्टर की अंकसूचियों संलग्न करना अनिवार्य है। इन अंकसूचियों में पूर्णांक व प्राप्तांक का उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश प्रभारी/प्राचार्य इसकी जांच अवश्य कर लें।

V. यदि कोई आवेदक अंकसूचियों के स्थान पर ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत कर रहा है तो इस ट्रांसक्रिप्ट में प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर में लिए गये विषयों का एवं पूर्णांक व प्राप्तांकों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश प्रभारी/प्राचार्य इसकी जांच अवश्य कर लें तत्पश्चात् ही आवेदन अग्रेषित करें।

VI. बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता का निर्धारण एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर होगा।

VII. नियमित विद्यार्थियों हेतु शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार्य होगा। **उक्त तिथि के पश्चात् आवेदनों के लिए संदर्भित पत्र क्रं. 03 में वर्णित अनुसार पात्रता पेनाल्टी राशि महाविद्यालय तथा छात्र पर (यथा स्थिति) अधिरोपित की जावेगी। स्वाध्यायी छात्रों हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार्य होगें, तत्पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर पेनाल्टी राशि अधिरोपित की जावेगी।**

VIII. **प्राचायों को निर्देशित किया जाता है कि जिन छात्रों का नाम प्रवेश की प्रावीण्यता सूची में हो , उनके पात्रता आवेदन पत्र को अग्रेषित करना सुनिश्चित करें।**

IX. छ.ग. शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2021–22 में उल्लेखित प्रावधानों/निर्देशो का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण बनता है। तो महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगें।

उक्त दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्रं. 765/अका./पात्रता/2021–22 रायगढ़, दिनांक 28.08.2021

प्रतिलिपिः–

01. कुलपति जी के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. उप–कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीयं) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
03. विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
04. कार्यालय प्रति।

28/08/21
प्रभारी अधिकारी (अकादमी)

SHAHEED NANDKUMAR PATEL VISHWAVIDYALAYA, RAIGARH (C.G.)

Application for Eligibility

To,

The Registrar,
Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya,
Raigarh, (C.G.)

Sir,

I am seeking admission in a college affiliated to your University. As I have migrated from other State/University, I need Eligibility Certificate from the University. Kindly provide it to me. I will be grateful to you.

My personal and academic details are as given hereunder :-

Personal Details:-

Name of the course applying for:- ……………………………………………........

Session :- ………………………………………………………...

Name of the application (in Capital):- …………………………………………………..

Gender :- …………………………………………………………..

Date of Birth :- …………………………………………………………..

Father's name :- …………………………………………………………

Mother's name :- …………………………………………………………

Address :- …………………………………………………………

Academic Details:-

Particulars of Qualifying Examination:-

Name of the Course :- …………………………………………………………..

Name of the University/Bord :- …………………………………………………………..

Name of the College/Institute/UTD :- ……………………………………………………

Roll No.	Month & Year of Passing	Percentage	Division/Grade

Specify details of gap in Study (if any)

Roll No.	Month & Year of Passing	Percentage	Division/Grade

Signature of Applicant
Mobile No.
Date:-

To be filled in only by the applicants seeking equivalence of the course

Name and Year of the Course applying for :- ....
(Part-II/Part-III/Sem-II/Sem-III/Sem-IV/Final)

Name of the College :- ....
Name and Year of passing previous Examination of the course :- ....
(Part-I/Part-II/Sem-I/Sem-II/Sem-III/Previous)
Name of the University :- ....
....
Name of the College/Institute/UTD :- ....
....

Signature of the Applicant
Mobile Number
Date:-

To be filled in BoS/Dean/Committee:-

Sr.No.	Subject & Paper Titles of Previous Examination	Subject & Paper Titles of SNP University	Subject & Paper which are not matching

Note:- If the applicant is given permission, he/she shall have to appear in all the Subject/papers which do not match with the course of the SNP University, Raigarh.

Remarks of the BoS/Dean/Committee:- Eligible ☐

(Please Tick the box) Not Eligible ☐

Name & Signature of
Bos/Dean/Committee

Date:-

Undertaking of the Student seeking eligibility Certificate

I am submitting the application along with all the relevant documents for the eligibility certificate. I shall comply with the decision of the University, Further, if any of the information or the documents submitted by me are found incorrect. The eligibility given to me may be revoked by the University and I shall accept the decision.

Signature of the Applicant

Forwarded by the Principal

Note:- (i) The applicant has to appear himself/herself in the University to apply for the Eligibility Certificate.

(ii) He/she shall have to deposit Rs. 250/- as a fee for the Certificate along with the application.

(iii) If the applicant applies for the certificate after the due date, he/she shall have to pay Rs. 500/- as late fee.

Documents to be attached by the Applicant:-

i. Copies of Mark sheets from 10^{th} to last Qualifying Examinations.
ii. Domicile Certificate (Issued by Competent Authority)
iii. Affidavit for change in Name/Surname.
iv. Gap Certificate (If any)
v. A Copy of Seat allotment letter (where required)
vi. Two Pass port size latest photographs
vii. Migration Certificate
viii. Undertaking of the Applicant
ix. Syllabus of the previous University (Only for Equivalence seeking Applicants)
x. Admit Card/Certificate from the Exam Center regarding proof of appearing in the exam at the Center (Only for open university Distance mode examinations)